

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

कृष्ण

बनाम

इतिनालय वगैरे

केस संख्या

उपावण्ड

आधिकारी

जमवाशमगढ़

158/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/12/21	पतावली पेश 387 वकील वादी उपण पतावली मातीर के विचार- धीन है। पतावली का मसल्लेक किम्प गाम्प तम्प - काशन का भनन किम्प गाम्प। अत्र! वादी का वाद भननगह धात 53, 188 राज 0 काशनकारी आदि 0 की आदिन रवण के लकीकार किम्प लाम्प उतादिक् कुर्तेजात के त्कालनत हेतु निर्णीत किम्प लाम्प है। तम्प वाद मे करवाप किम्प लाम्प है। किम्प निर्णीत ध्वज के लिख लाम्प शादिल निनल किम्प गाम्प निर्णीत मात मरे हजलात हुवाग गाम्प। पतावली केनल 23 म्प केनल गाम्प के कम्प है तम्प वाद प्रति सादिल 5 म्प के उपावण्ड अधिकारी जमवाशमगढ़	



13

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
158/2021

तारीख दायर
09/12/2021

तारीख फैसला
05/12/2024

1. कृष्ण पुत्र नाथूलाल
2. अर्जुन पुत्र नाथूलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र रामू
4. प्रधान पुत्र रामू
5. शंकर पुत्र रामू
6. कालूराम पुत्र लालाराम

जातियान मीणा निवासी पालेडा, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हरिनारायण पुत्र भूराराम जाति मीणा निवासी गणपति कॉलोनी, चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. परसराम पुत्र गिरधारी
3. फैलीराम पुत्र भौरीलाल
4. बद्री पुत्र मोती
5. रेवड पुत्र गोपाल
6. गोपी पुत्र रामू
7. छोटीलाल पुत्र रामू
8. मीरादेवी पत्नि लाला
9. गिराज पुत्र लालाराम
10. राजू पुत्री लालाराम
11. रोशनी पुत्री लालाराम
12. सीताराम पुत्र नाथूलाल
13. नरसी पुत्र नाथूलाल
- जातियान मीना निवासी ग्राम पालेडा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
14. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
15. उप पंजीयक, जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :- वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 0.7840 है0 स्थित ग्राम पालेडा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है।

नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक तथा हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 14.06.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात को तकासमा करने हेतु सहमति दी। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पालेडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

ता या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
7	अर्जुन, नरसी, सीताराम पि० नाथूलाल, दाफा पत्नि नाथूलाल हि० 4/30 राहिन एस०बी०आई० शाखा जमवारामगढ, कृष्ण पुत्र नाथूलाल हि० 1/30, धन्नी पत्नि मोती हि० 1/12, ओमप्रकाश, प्रधान, शंकर पि० रामू, गोपी पत्नि रामू हि० 1/15, कालूराम, गिराज पि० लालाराम, राजू, रोशनी पुत्रीया लालाराम, मीरा देवी पत्नि लाला हि० 1/12, छोटीलाल पुत्र रामू हि० 1/60, बद्री पुत्र मोती हि० 1/12, पांची देवी पत्नि भौरीलाल हि० 1/12 सा०देह, हरिनारायण पुत्र भूराराम हि० 1/6 जाति मीणा सा० गणपति कॉलोनी, चावण्ड का मण्ड, खातेदार।	199	0.7840	चाही 1 0.3035 चाही 2 0.4805	—
	योग	किता 1	0.7840	—	8.30

—: प्रस्तावित :—

म या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
	कृष्ण पुत्र नाथूलाल हि० 1/20 बिना रहन, अर्जुन, नरसी, सीताराम पि० नाथूलाल, दाफा पत्नि नाथूलाल हि० 1/5 राहिन एस०बी०आई० शाखा जमवारामगढ, बद्री पुत्र मोती हि० 1/6, कालूराम, गिराज पि० लालाराम, मीरा देवी पत्नि लालाराम, रोशनी, राजन्ती पुत्रीया लालाराम हि० 1/6, ओमप्रकाश, छोटीलाल, शंकरलाल, प्रधान पि० रामू हि० 1/6, रेवड पुत्र गोपाल हि० 1/4 जाति मीना सा०देह	199/2	0.4600	चाही 2	—
	योग	किता 1	0.4600	—	—
	फैलीराम पुत्र भौरीलाल हि० 1/4, ग्यारसीदेवी पत्नि	199/1	0.2300	चाही 1	—

23

	स्व0 परसराम, कानी पुत्री परसराम हि0 1/4 सा0देह, हरिनारायण पुत्र भूराराम हि0 1/2 जाति मीणा सा0 गणपति कॉलोनी, चावण्ड का मण्ड खातेदार				
	योग	किता 1	0.2300	—	—
3	शामलात	199/3	0.0940	चाही 1 चाही 2	—
	योग	किता 1	0.0940	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 05/12/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबताई

(रुल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

कृष्ण

बनाम

हरिनारायण वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर - 158/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु श्री ललित मीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पालेडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्रमा ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
27	अर्जुन, नरसी, सीताराम पि० नाथूलाल, दाफा पत्नि नाथूलाल हि० 4/30 राहिन एस०बी०आई० शाखा जमवारामगढ, कृष्ण पुत्र नाथूलाल हि० 1/30, धन्नी पत्नि मोती हि० 1/12, ओमप्रकाश, प्रधान, शंकर पि० रामू, गोपी पत्नि रामू हि० 1/15, कालूराम, गिर्राज पि० लालाराम, राजू, रोशनी पुत्रीया लालाराम, मीरा देवी पत्नि लाला हि० 1/12, छोटीलाल पुत्र रामू हि० 1/60, बद्री पुत्र मोती हि० 1/12, पांची देवी पत्नि भौरीलाल हि० 1/12 सा०देह, हरिनारायण पुत्र भूराराम हि० 1/6 जाति मीणा सा० गणपति कॉलोनी, चावण्ड का मण्ड खातेदार।	199	0.7840	चाही 1 0.3035 चाही 2 0.4805	-
	योग	किता 1	0.7840	-	8.30

-: प्रस्तावित :-

क्रम ख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	कृष्ण पुत्र नाथूलाल हि० 1/20 बिना रहन, अर्जुन, नरसी, सीताराम पि० नाथूलाल, दाफा पत्नि नाथूलाल हि० 1/5 राहिन एस०बी०आई० शाखा जमवारामगढ, बद्री पुत्र मोती हि० 1/6, कालूराम, गिर्राज पि० लालाराम, मीरा देवी पत्नि लालाराम, रोशनी, राजन्ती पुत्रीया लालाराम हि० 1/6, ओमप्रकाश, छोटीलाल, शंकरलाल, प्रधान पि० रामू हि० 1/6, रेवड पुत्र गोपाल हि० 1/4 जाति मीना सा०देह	199/2	0.4600	चाही 2	-
	योग	किता 1	0.4600	-	-


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

2	फैलीराम पुत्र भौरीलाल हि0 1/4, ग्यारसीदेवी पत्नि स्व0 परसराम, कानी पुत्री परसराम हि0 1/4 सा0 देह, हरिनारायण पुत्र भूराराम हि0 1/2 जाति मीणा सा0 गणपति कॉलोनी, चावण्ड का मण्ड खातेदार	199/1	0.2300	चाही 1	—
	योग	किता 1	0.2300	—	—
3	शामलात	199/3	0.0940	चाही 1 चाही 2	—
	योग	किता 1	0.0940	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 05/12/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामण्ड

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामण्ड